

18/9/25

पञ्चावली पेशी में ली गयी अधिवक्ता
वादी को बाल कार आवाज लगाई
गई। वादी अधिवक्ता की अनुपस्थिति
में वाद पत्र अकम हाजरी, अयम पेशी
में खारिज कर पञ्चावली काविल
दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया
गया।

व/क
मुख्य कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
मुमानगर